

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रामरतन बनाम करतार सिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 193/2021

निर्णय दिनांक :- 06-10-2021

वादी की ओर से वकील सुरेश केनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील विनोद शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही मौजा 0123 के खाला सं० 181/168 के खसरा सं० 37 की 4.930 है, खसरा सं० 109 की 1.5300 है, खसरा सं० 171/1 की 0.8090 है, खसरा सं० 296 की 1.0880 है, खसरा सं० 303 की 2.5550 है, खसरा सं० 315/486 की 1.4920 है, खसरा सं० 328 की 1.2650 है, खसरा सं० 363/492 की 3.3260 है, खसरा सं० 378 की 5.8930 है कुल 22.8770 है कारण की भूमि में प्रतिवादी सं० करतार सिंह के नाम 1/2 हिस्सा खेतवारी राज ए में से अकेले प्रतिवादी सं० करतार सिंह के बनाए वादी व प्रतिवादी सं० 1/2 हिस्सा खसरा के खेतवारी आदेशवादी घोषित किया जाते है यदि भूमि सं० 1/2 के खेत वी तो रहने मुफ्त होमे के अंतरा ही राजस्व रिवाइज में अमल प्रारम्भ किया जावे। राही मौजा 0123 के खाला सं० 180/167 के खसरा सं० 461 की 4.1230 है में प्रतिवादी सं० करतार सिंह के नाम 1/2 हिस्सा अन्वयत रखा जावे राजानाम के डिक्री का भाग 461 जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़ राज. के संग अ-2021 06.10.21